बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0- 362426 दिनांक 27.03.2018

ग्रा0वि0- 15 स्वच्छता- 18/2016

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना के कार्यान्वयन हेतु ज्ञापांक 68/सी0 दिनांक 05.08.2016 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं । इस दिशा-निर्देश की कंडिका 9 में ग्राम पंचायतों के वार्ड को खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जाने के उपरांत हीं संबंधित वार्ड के लाभार्थियों के बीच प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निदेश संसूचित है ।

2. विभिन्न जिलों से प्राप्त सुझावों के समीक्षोपरांत उपरोक्त प्रावधान में संशोधन करते हुए किसी वार्ड के 75% (पचहत्तर) प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण एवं उपयोग किये जाने के उपरांत नियमानुसार प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है ।

3. विभागीय पत्रांक 68/सी0 दिनांक 05.08.2016 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे ।

27/3/2018

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सचिव

ज्ञापांक 362426 पटना, दिनांक 27.03.18

प्रतिलिपि :- सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष/निदेशक, डी.आर.डी.ए.-सह-सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

27/3/2018

सचिव